संख्या-15/2016-823/चौदह-4-2016-527/2014 टीसी

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
वन एवं वन्य जीव विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ दिनांक, 16 मार्च, 2016**

विषय: **वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत " उ0प्र0 बैम्बू मिशन योजना" हेतु रू0 128.24 लाख की स्वीकृति**।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-858/36-पी-23ए दिनांक 19 जनवरी, 2016 एवं पत्र सं0-पी1155/36-पी-23ए दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "उ0प्र0 बैम्बू मिशन योजना" हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 257.67 लाख के सापेक्ष रू0 128.24 लाख (रू0 एक करोड़ अटठाईस लाख चौबीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक	**उपलब्ध बजट प्राविधान**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि**
अनुदान संख्या-60		
पूँजी लेखा-		
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत		
01-वानिकी		
800-अन्य व्यय		
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाऐं		
0101-उ0प्र0 बैम्बू मिशन योजना		
24-वृहत निर्माण कार्य	25374	12613
42-अन्य व्यय	393	211
	25767	**12824**

(रू0 एक करोड़ अटठाईस लाख चौबीस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो,उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004 मित-1/2004 दिनांक 7.01.2005 तथा शासनादेश सं0-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष् 2015-16 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-858/36-पी-23ए दिनांक 19 जनवरी, 2016 एवं पत्र सं0-पी1155/36-पी-23ए दिनांक 15 मार्च, 2016 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10-यह आदेश वित्त (यकव्य-आय) अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या -दस/925-1-बी/2015/2-2015/231दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-823(1)/चौदह-4-2016-527/2014 टीसी तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,वन्य जीव उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक,कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. नियोजन अनुभाग-3
10. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in